संख्या–1339 / XVI / 07 / 7(71) / 07

प्रेषक,

अर्जुन सिंह,
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
उद्यान भवन, चौबटिया, रानीखेत।

उद्यान एवं रेशम अनुभाग:–1 देहरादूनः दिनांक 01 जनवरी,2008

विषयः–चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के प्रथम अनुपूरक अनुदान के माध्यम से अनुदान संख्या–29 के अन्तर्गत राजकीय उद्यानों का सुदृढीकरण योजना के लिए प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–552 / 1–1(102) / 2007–08,दिनांक 29 नवम्बर,2007 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के प्रथम अनुपूरक अनुदान के माध्यम से उद्यान विभाग के अनुदान संख्या–29 के लेखाशीर्षक –2401–फसल कृषि कर्म के अन्तर्गत 0303–सत्ताईस राजकीय उद्यानों का सुदृढीकरण तथा लेखाशीर्षक 4401–फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 10–उद्यानों का सुदृढीकरण योजनान्तर्गत विभिन्न उप मानक मदों में संलग्न विवरणानुसार प्राविधानित रू0–400.00 लाख (रू0 चार करोड़ मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन / आवंटन पर रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तानुसार सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

1– उक्त व्यय करते समय वित्त अनुभाग–1,उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–599/XXVII(1)/2007, दिनांक–12 जुलाई, 2007 एवं शासनादेश संख्या–1044/ XXVII (1)/2007, दिनांक–04 दिसम्बर, 2007 में दिये गये दिशा–निर्देशों तथा बजट मैनुअल के सुसंगत नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

2– किसी भी शासकीय व्यय हेतु भण्डार कय प्रकिया (स्टोर्स पर्चेस रूल्स) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिष्पादन नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 आय व्यय सम्बन्धी नियम शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3– अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग त्रैमास के आधार पर शासन को उपलब्ध करायी जाय, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लों निर्धारित किए जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो।

4– निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक के आगणन / पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासनिक तथा वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ आगणनों पर सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय।

5– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

6– व्यय केवल उन्हीं मदों में किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति निर्गत की जा रही है, साथ ही किसी भी प्रकार के मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं रहेगा।

7– व्यय की सूचना प्रपत्र बी0एम0–13 पर प्रत्येक माह की 20 तारीख तक वित्त विभाग को अवश्य उपलब्ध कराई जाय तथा धनराशि का आहरण / व्यय एकमुश्त न करके आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

...2 /

8– लघु निर्माण कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग की वर्तमान प्रचलित दरों पर ही आगणन गठित करके कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

9– सबन्धित राजकीय उद्यानों में वृहद निर्माण कार्य कराये जाने हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से लोक निर्माण विभाग की वर्तमान प्रचलित दरों पर औचित्यपूर्ण आगणन गठित कराते हुए स्वीकृति हेतु तात्कालिकता से शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे,तथा शासन स्तर से स्वीकृत/अनुमोदित आगणनों की सीमा के अन्तर्गत ही 10–उद्यानों का सुदृढीकरण योजना के 24–वृहद निर्माण मद में प्राविधानित बजट व्यवस्था के सापेक्ष व्यय की कार्यवाही की जायेगी। शासन के पूर्वानुमोदन के बिना इस मद में स्वीकृत धनराशि का व्यय/आवंटन कदापि नहीं किया जायेगा।

10– जिन उद्यानों के सम्बन्ध में उन्हें आदर्श राजकीय उद्यान के रूप में विकसित किये जाने के लिए कार्ययोजना गठित नही है, उन उद्यानों के सम्बन्ध में भी विस्तृत कार्ययोजना गठित कर उसे शासन स्तर से अनुमोदित भी कराया जाय, तदोपरान्त ही इन उद्यानों में योजनान्तर्गत औद्यानिकी गतिविधियां विकसित किये जाने का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

11– आहरण एवं व्यय परिव्यय की उपलब्धता की सीमान्तर्गत ही किया जाय। साथ ही योजना व सम्बन्धित कार्यो का कियान्वयन सक्षम स्तर से यथाआवश्यक स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाय।

12– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के प्रथम अनुपूरक अनुदानान्तर्गत उद्यान विभाग के अनुदान संख्या–29 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2401–फसल कृषि कर्म–00–आयोजनागत–119–बागवानी और सब्जियों की फसलें–0303–सत्ताईस राजकीय उद्यानों का सुदृढीकरण तथा लेखाशीर्षक–4401–फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय –00–आयोजनागत–119–बागवानी और सब्जियों की फसलें–10–उद्यानों का सुदृढीकरण योजना के अन्तर्गत संलग्न विवरण में अंकित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

13– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–274(P)/XXVII-4/2007, दिनांक–09 जनवरी,2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव।

संख्या–1339/XVI/07/7(71)/07/तददिनांक:

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग माजरा, देहरादून।
2– वित्त अनुभाग–4/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय/राज्य योजना आयोग उत्तराखण्ड,देहरादून।
5– राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
6– आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौडी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
7– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अहमद अली)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या–1339/XVI/07/7(71)/07, दिनांक–03 जनवरी, 2008 का संलग्नक

(धनराशि हजार रूपयें में)

क्र0 सं0	योजना का नाम/मद	प्रथम अनुपूरक अनुदान के माध्यम से प्राविधानित धनराशि	स्वीकृत की जा रही धनराशि
1	2	3	5
1	अनुदान सं0–29 लेखाशीर्षक–2401–फसल कृषि कर्म–00–आयोजनागत, 119–बागवानी और सब्जियों की फसलें,		
	0303– सताईस राजकीय उद्यानों का सुदृढीकरण		
	08–कार्यालय व्यय	500	500
	12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2000	2000
	25–लघु निर्माण कार्य	2000	2000
	26–मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयत्र	3000	3000
	29–अनुरक्षण	2000	2000
	42–अन्य व्यय	500	500
	योग–0303	10000	10000
2	अनुदान सं0–29 लेखाशीर्षक–4401–फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय–00–आयोजनागत, 119–बागवानी और सब्जियों की फसलें,		
	10–उद्यानों का सुदृढीकरण		
	24– वृहत निर्माण कार्य	30000	30000
	योग–10	30000	30000
	कुल योग :–	40000	40000

(रू0 चार करोड़ मात्र)

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव।